

सं० 1-54/2000-सीआर
भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20 अशोक रोड
नई दिल्ली

दिनांक . 19 फरवरी, 2010

मंत्रालय अपनी दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीएलवाई टैक्सियां किराए पर लेना चाहता है। वाहन आवश्यकताओं के अनुसार मासिक आधार पर या किमी/घंटे/दिन के आधार पर रखे जा सकते हैं। वाहन ड्राइवर के साथ तैनात किए जाने चाहिए जिसके पास मोबाइल और वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज हों। वाहन बहुत अच्छी स्थिति में होने चाहिए और वाहन का पंजीकरण 1.4.2008 से पहले नहीं हुआ हो।

2. इच्छुक पक्ष वाहनों की संख्या और अन्य सुविधाओं, जो वे प्रदान कर सकते हैं, के बारे में पूरे ब्योरे के साथ अपना कोटेशन भेज सकते हैं। यह विदित है कि कार्य का स्थान संचार भवन या सगय-समय पर बताया गया कोई अन्य स्थान होगा और माइलेज तथा समय की गणना तदनुसार की जाएगी न कि गैराज से गैराज तक।

3. यदि कोई फर्म केन्द्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को किराया आधार पर पहले से वाहन प्रदान कर रहा है तो उसका ब्योरा भी कोटेशन के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। कोट की गई दरें एक वर्ष तक की अवधि के लिए या ऐसी बड़ी हुई अवधि के लिए वैध होनी चाहिए जैसी कि पारस्परिक सहमति है।

4. मुहरबंद कोटेशन जिस पर विधिवत रूप से "डीएलवाई टैक्सियों के लिए कोटेशन" लिखा हो, सीआर अनुभाग, भूतल, संचार भवन में रखे गए निविदा बाक्स में अधिक से अधिक 26.3.2010 तक 3 बजे अपराह्न तक जमा कर दिए जाए। निर्धारित तारीख/समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोटेशन निविदाताओं या उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित होना चाहें, की उपस्थिति में 26.3.2010 को 3.30 बजे अपराह्न को कमरा सं० 511, संचार भवन में खोला जाएगा।

5. ब्योरे निबंधन और शर्तों तथा निविदा फॉर्म के लिए कृपया www.dot.gov.in देखें।

ह/०
अवर सचिव (टी)
दूरसंचार विभाग
दूरभाष : 23036300